मो0 सोहैल भा0 प्र0 से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.16 से विधुत विभाग की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

(1) <u>परियोजना कार्य</u>

(क) परियोजना कार्य की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि राजीव गाँधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना के तहत अर्जान्वित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या के लक्ष्य–233 के विरूद्ध कार्यकारी एजेंसी के द्वारा मात्र 200 ग्रामों में कार्य पूरा कराया गया है। शेष 33 ग्रामों में से केवल 27 ग्रामों में कार्य प्रारंभ है, तथा 06 ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्यकारी एजेंसी टेक्नोफेव इंजीनियरिंग लिमिटेड के कर्मी ने बताया कि प्रखंड चौसा में कई गाँवों में जलजमाव की स्थिति के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है।
निदेश दिया गया योजना समाप्ति की अंतिम तिथि दिसंबर 16 के पूर्व कार्यकारी एजेंसी शतप्रतिशत काम पूरा करावें अन्यथा विधिसम्मत भुगतान में कटौती की जाएगी।
जिला पदाधिकारी द्वारा पृच्छा की गई कि उर्जान्वित किए गए 200 ग्रामों को कार्यपालक अभियंता (आपूर्ति) को हस्तांतरित किया गया है या नहीं। कार्यपालक अभियंता (परियोजना) के द्वारा बताया गया कि उर्जान्वित गाँवों की सूची कार्यपालक अभियंता (आपूर्ति) को दी गई है। निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता (आपूर्ति) उर्जान्वित गॉवों का विधिवत हस्तांतरण प्राप्त करेंगे, तथा उन गॉवों को मीटर रीडिंग/बिलिंग चक्र (Billing Cycle) में लेते हूए अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन देंगे।

(ख) उर्जान्वित किए जाने वाले बी0पी0एल0 धारियों की निर्धारित लक्ष्य के उपलब्धि का प्रतिशत मात्र 45.2 है। जिला पदाधिकारी के द्वारा इस पर खेद व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि कार्यकारी ऐजेंसी लक्ष्य के अनुसार शत–प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को उर्जान्वित करें। कार्यपालक अभियंता परियोजना को निर्देश दिया गया कि वे इसकी मोनिटीरिंग करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन से जिला पदाधिकारी को अवगत कराऐंगे।

(2) <u>विधुत आपूर्ति</u>

कार्यपालक अभियंता (आपूर्ति) अवकाश में है। सहायक अभियंता (आपूर्ति) अवकाश में है। तदनुसार विधुत आपूर्ति की विधिवत समीक्षा नहीं हो सकी।
नोडल पदाधिकारी (विधुत) के द्वारा बताया गया कि दिनांक–18.10.16 को हुई बैठक की कार्यवाही का अनुपालन अप्राप्त है।
निदेश दिया गया कि (1) विधुत विपत्रों का बैंको के शाखा से भुगतान की व्यवस्था तथा (2) ग्रामीण फ्रेंचाईजी (RRF) के भुगतान के संबंध में अविलंब अग्रेतर कारवाई की जाए तथा प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा जाए।

(3) **राजस्व वसूली**

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि राजस्व वसूली को लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व वसूली का प्रतिशत 43.5 है। सेक्शनवार समीक्षा में पाया गया कि मधेपुरा ग्रमीण (वसूली–25.8%), मुरलीगंज (वसूली–33.91%), सिंहेश्वर (वसूली 30%) तथा उदाकिशुनगंज (वसूली–34.4%) के कनीय अभियंता के द्वारा राजस्व वसूली में लापरवाही बरती गई है। संबंधित कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण पूछते हुए अग्रेतर कारवाई का निदेश सहायक अभियंता राजस्व को दिया गया।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांकः–570 मधेपुरा/दिनांक 26.11.2016

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता विधुत/परियोजना मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से सभी अधीनस्थ परियोजना/सहायक अभियंता कनीय

अभियंता एवं एजेन्सियों को इसकी प्रति अनुपालन हेतु उपलब्ध करा देंगे और दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्ता मधेपुरा/उप विकास आयुक्त मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार विधुत कॉ० लि०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा